फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

देवाराम बनाम दूल्लाराम

मुकदमा संख्या/वर्ष : 501/20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
रामलाल जाट Identify Advocate	20/1/2023 देवाराम नि. अंगूठा	पत्रावली पेश हुई। वादीगण मय अधिवक्ता उप.। प्रतिवादीगण उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा नक्शा कुरेजात पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए मुताबिक नक्शा कुरेजात वाद की डिक्री किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1/2/23 को पेश हो।
दूलाराम नि. अंगूठा Advocate रामलाल	1/2/23	पत्रावली पेश हुई। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किए जाने हेतु तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 01/02/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरूण कुमार जैन R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 50/2016 (पुराना) दायर तारीख :– 19.10.2016
187/2022 (नया इस न्यायालय का)

1. देवाराम
2. रामनारायण
3. रामलाल
   पुत्रान मुन्नाराम समस्त जाति जाट निवारीयान डेहरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

वादिगण

बनाम

1. दल्लाराम पुत्र मुन्नाराम
2. रामचन्द्र पुत्र मुन्नाराम
3. गोरधन पुत्र घीसाराम
4. लक्ष्मण पुत्र घीसाराम
   समस्त जाति जाट निवासीयान डेहरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0
5. तहसीलदार फुलेरा हाल तहसीलदार तहसील जोबनेर

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत विभाजन आराजी एवं घोषणा खातेदारी</u>

उपस्थित :– 1. श्री हनुमान जाखड, विद्वान अधिवक्ता वादीगण
2. श्री अजय सिंह, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3
3. प्रतिवादी संख्या 4 उपस्थित
4. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 01.02.2023

पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 88 के अंतर्गत दिनांक 19.10.2016 को प्रस्तुत किया गया था। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश क्रमांक सम/2022/4190–4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। वादी/प्रतिवादीगण अधिवक्ता तथा पैरोकार सरकार उपस्थित।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम आसलपुर के खाता संख्या 198 की आराजी ख0न0 261/1 रकबा 6 बीघा 15 विस्वा में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का संयुक्त रूप से 35/42 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 व 4 का संयुक्त रूप से 7/42 हिस्सा है। इसी प्रकार ग्राम आसलपुर के खाता सं0 336 की आराजी

.....2

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

ख0न0 306 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का 25/126 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 व 4 का 7/126 हिस्सा है व ग्राम आसलपुर के खाता सं0 567 की आराजी ख0न0 307 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का संयुक्त 12/21 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 व 4 का संयुक्त रूप से 4/21 हिस्सा है। खाता सं0 41 की आराजी ख0न0 2009 रकबा 2 बिस्वा व ख0नं0 2124 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 33 बीघा 1 बिस्वा वाकै ग्राम अगरपुरा प0ह0 डेहरा तह0 जोबनेर में प्रतिवादी सं0 1 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 2 व 3 व प्रतिवादी सं0 3 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 का 1/12 हिस्सा है इसी प्रकार खाता सं0 42 की आराजी ख0न0 2134 व ख0नं0 2156/2 रकबा 1 बिस्वा वाकै ग्राम अगरपुरा तह0 जोबनेर में वादी सं0 1 लगा0 3 व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का संयुक्त रूप से 5/18 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 व 4 का संयुक्त रूप से 1/18 हिस्सा है तथा खाता सं0 43 की आराजी ख0न0 2139 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाकै ग्राम अगरपुरा तह0 जोबनेर में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 2 का संयुक्त रूप से 5/18 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 व 4 का संयुक्त रूप से 1/18 हिस्सा है तथा खाता सं0 78 की आराजी ख0नं0 2156/1 शा0नं0 2134 रकबा 35 बीघा 3 बिस्वा वाकै ग्राम अगरपुरा तह0 जोबनेर वादी सं0 1 लगा0 3 व 4 का संयुक्त रूप से 1/27 हिस्सा है इसी प्रकार आराजी खाता सं0 104 के आराजी ख0न0 2132 शा0नं0 2133/1 रकबा 36 बीघा वाकै ग्राम अगरपुरा तह0 जोबनेर में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का संयुक्त रूप से 5/72 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 व 4 का संयुक्त रूप से 1/72 हिस्सा है। इसी प्रकार खाता संख्या 72 की आराजी ख0नं0 1956 रकबा 41 बीघा 17 बिस्वा वाकै ग्राम डेहरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0 3 व 4 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है तथा खाता सं0 90 की आराजी ख0नं0 2115 रकबा 57 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम डेहरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर में वादी संख्या 1 का 1/10 व वादी सं0 2 व 3 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 की **उपरोक्त आराजीयात पुश्तैनी है जिनको उक्त आराजीयात विरासत से प्राप्त हुई है** जिस पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा 4 स्व0 मुन्ना के वंशज है। पक्षकारों की कृषि भूमि राजस्व ग्राम आसलपुर, अगरपुरा व डेहरा में स्थित है जिसका पक्षकारों ने आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर रखा है अपने हिस्सें की आराजीयात पर काबिज काश्त है । विभाजन करीब 20 वर्ष पूर्व से ही कर रखा है अब राजस्व रिकार्ड में कब्जे काश्त के अनुसार नाम दर्ज कराना चाहते है।

वर्तमान में पक्षकारान निम्न प्रकार से काबिज काश्त है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराना चाहते है जो निम्न प्रकार है ग्राम आसलपुर में प्रतिवादी सं0 1 दल्लाराम का ख0नं0 261/1 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण पर काबिज काश्त है अन्य सभी खातेदारों का नाम हजफ होगा। इसी प्रकार ख0नं0 306 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा में पक्षकारान का 1/3 हिस्सा है। (35+126+7/126 कुल 1/3) इसमें प्रतिवादी सं0 1 दल्लाराम का 1/3 हिस्सा दर्ज होगा शेष पक्षकारान रामचन्द्र, देवाराम, रामनारायण, रामलाल पि0

.......3

01/02/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

मुन्ना व गोरधन, लक्ष्मण पि0 घीसाराम का नाम हजफ होगा एवं इसी प्रकार ख0नं0 305 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा में पक्षकारान का 2/3 हिस्सा है (12/21ब 2/21 कुल 2/3) इसमें प्रतिवादी सं0 1 दल्लाराम का 2/3 हिस्सा दर्ज होगा शेष पक्षकारान रामचन्द्र, देवाराम, रामनारायण, रामलाल पि0 मुन्ना व गोरधन, लक्ष्मण पि0 घासीराम का नाम हजफ होगा शेष खातेदारों का नाम यथावत् रहेगा। इसी प्रकार ग्राम अगरपुरा के ख0नं0 2124 रकबा 32 बीघा 19 विस्वा सम्पूर्ण में सभी पक्षकारों का नाम है इसमें 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 दल्लाराम का दर्ज होगा तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 रामचन्द्र का 2/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 व 4 गोरधन, लक्ष्मण का 1/9 हिस्सा दर्ज होगा तथा अन्य पक्षकार दल्लाराम, देवाराम, रामनारायण, रामलाल का नाम हजफ होगा शेष खातेदारों का नाम यथावत! रहेगा। ख0नं0 2132 (शां0नं0 2133/1) रकबा 36 बीघा में पक्षकारों का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा है (5/72+1/72 कुल 1/12) इसमें प्रतिवादी सं0 3 व 4 का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा दर्ज होगा तथा पक्षकार दल्लाराम, देवाराम, रामचन्द्र, रामनारायण, रामलाल पुत्रान मुन्ना का नाम हजफ होगा। शेष खातेदारों का नाम यथावत् रहेगा। ख0न0 2139 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा जिसमें पक्षकारों का 1/3 हिस्सा (5/18+1/18 कुल 1/3) इसमें प्रतिवादी सं0 3, 4 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा दर्ज होगा शेष पक्षकार दल्लाराम, देवाराम, रामचन्द्र, रामनारायण, रामलाल पुत्रान मुन्ना का नाम हजफ होगा। शेष खातेदारों का नाम यथावत् रहेगा। ख0न0 2009 रकबा 2 विस्वा में सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 व 4 का दर्ज होगा शेष खातेदारों का नाम हजफ होगा। इसी प्रकार ग्राम डेहरा के ख0नं0 1955 रकबा 5 विस्वा में पक्षकारों का 1/4 हिस्सा है इसमें 1/8 हिस्सा दर्ज होगा। पक्षकार गोरधनलाल, लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण का नाम हजफ होगा शेष खातेदारों का नाम यथावत् रहेगा। ख0नं0 2115 रकबा 57 बीघा 18 विस्वा मे पक्षकारों का 1/2 हिस्सा है इसमें वादीगण का 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा बराबर-बराबर हिस्सा दर्ज होगा तथा पक्षकार दल्लाराम व रामचन्द्र पि0 मुन्ना का नाम हजफ होगा। ख0नं0 2010 रकबा 30 बीघा 10 विस्वा है जो सम्पूर्ण पक्षकारान का है इसमें अब वादी सं0 1 का 2/5 हिस्सा, वादी सं0 2 का 7/30 हिस्सा, वादी सं0 3 का 7/30 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 रामचन्द्र का 1/15 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 व 4 का संयुक्त 1/15 हिस्सा दर्ज होगा। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 को मौके पर काबिज काश्त के अनुसार आराजीयात गांव में स्थित का विभाजन करवाने के लिए कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 इसी आश्वासन देते रहे कि अपने भाईयों में जो जिस गांव में काबिज काश्त है एवं मौके पर काबिज काश्त है उसी के अनुसार विभाजन करवा लेंगे परन्तु आज तक मौके के कब्जें काश्त के अनुसार भूमि का विभाजन नहीं करवाया। जब वादीगण ने दिनांक 05.04.2016 को प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 इंकार हो गये इसलिए वादीगण को यहां वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं विभाजन आराजी का पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजयसिंह उपस्थित। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान को न्याय आपके द्वार-2018 अटल सेवा केन्द्र डेहरा में मजमेंआम में सुना गया। पत्रावली राजस्व

......4

01/02/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

उभयपक्षकारान उपस्थित हुए तथा पक्षकारों ने फर्द मौका मजमे–आम में अपनी सहमति उक्त वाद को बाई मिट्स एण्ड बाउन्डरा के अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 19.10.2022 के अनुसार डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया। बहस अभय पक्षकारान एवं पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया।

1. वाद पत्र दिनांक 31.05.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार जोबनेर से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रांक 6513 दिनांक 19.10.2022 से प्राप्त हुई।
2. तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 19.10.2022 के अनुसार डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया। बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया।
3. बहस उभय पक्ष व पैरोकार सरकार को सुना गया।
4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक वकील वादीगण एवं प्रतिवादी की ओर से नक्शें कुरेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शें कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एवं नक्शें कुरेजात का अवलोकन किया गया तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात पर समस्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा हस्ताक्षर किए गये है तथा सभी के द्वारा अपनी सहमति प्रदत्त की है। बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादीगण एवं समस्त प्रतिवादीयों की सहमति होने से वादीगण का वाद पैतृक सहदायिकी सम्पत्ति होने से मुताबिक नक्शें कुर्रेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। मुताबिक नक्शें कुर्रेजात वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वाकै ग्राम आसलपुर तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	हिस्सा
1	दल्लाराम पुत्र मुन्नाराम	261/1	6.15 बीघा	सम्पूर्ण
2	रामनारायण पुत्र मुन्नाराम	305	3.11 बीघा	सम्पूर्ण
3	दल्लाराम पुत्र मुन्नाराम	306	6.15 बीघा	सम्पूर्ण

.....5

01/02/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

वाकै ग्राम डहेरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	हिस्सा
1	देवाराम पुत्र मुन्नाराम	2115	57.18 बीघा	1/6
2	रामनारायण पुत्र मुन्नाराम	2115	57.18 बीघा	1/6
3	रामलाल पुत्र मुन्नाराम	2115	57.18 बीघा	1/6
4	रामनारायण पुत्र मुन्नाराम	1955	0.05 बीघा	1/8
5	रामलाल पुत्र मुन्नाराम	1955	0.05 बीघा	1/8
6	रामनारायण पुत्र मुन्नाराम	1956	41.17 बीघा	1/8
7	रामलाल पुत्र मुन्नाराम	1956	41.17 बीघा	1/8
8	देवाराम पुत्र मुन्नाराम	2010	30.10 बीघा	2/5
9	रामनारायण पुत्र मुन्नाराम	2010	30.10 बीघा	7/30
10	रामलाल पुत्र मुन्नाराम	2010	30.10 बीघा	7/30
11	रामचन्द्र पुत्र मुन्नाराम	2010	30.10 बीघा	1/15
12	गोरधन पुत्र घीसाराम	2010	30.10 बीघा	1/30
13	लक्ष्मण पुत्र घीसाराम	2010	30.10 बीघा	1/30

वाकै ग्राम अगरपुरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	हिस्सा
1	गोरधन पुत्र घीसाराम	2009	0.02बिस्वा	1/2
2	लक्ष्मण पुत्र घीसाराम	2009	0.02बिस्वा	1/2
3	रामचन्द्र पुत्र मुन्नाराम	2156/1 शा0 न0 2134	35.03बीघा	2/9
4	गोरधन पुत्र घीसाराम		35.03बीघा	1/18
5	लक्ष्मण पुत्र घीसाराम		35.03बीघा	1/18
6	गोरधन पुत्र घीसाराम	2132 शा0 न0 2133/1	36 बीघा	1/24
7	लक्ष्मण पुत्र घीसाराम		36 बीघा	1/24
8	दल्लाराम पुत्र मुन्नाराम	2124	32.19बीघा	1/3
9	रामचन्द्र पुत्र मुन्नाराम	2124	32.19बीघा	1/3
10	लक्ष्मण पुत्र घीसाराम	2124	32.19बीघा	1/6
11	गोरधन पुत्र घीसाराम	2124	35.03बीघा	1/6
12	गोरधन पुत्र घीसाराम	2139	2.16 बीघा	1/6
13	लक्ष्मण पुत्र घीसाराम	2139	2.16 बीघा	1/6

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुर्रेजात राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2023 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/02/2023

उपखण्ड अधिकारी,
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर